

कार्यालय परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर

क्रमांक : 401

दिनांक : 10/11/22

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Development of Beawar Masuda Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72+400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. में प्रस्तावित स्थल के मौका निरीक्षण बाबत्।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक एफ140एफसीए/उवसं/2022-23/9840 दिनांक 21.10.2022

महोदय,

उपरोक्त कार्य का भौतिक निरीक्षण आप द्वारा दिनांक 12.10.2022 को किया गया था तथा प्रासंगिक पत्रानुसार आप द्वारा वांछित सूचना के क्रम में निवेदन है कि

1. उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति Development of Highways under Rajasthan State Highway Investment Program (RSHIP) Trench-II के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा जारी की गई है। उपरोक्त हाईवे में किसी भी प्रकार का Bypass एवं Alternative alignment हेतु वित्तीय राशि स्वीकृत नहीं है। उपरोक्त हाईवे के वन क्षेत्र के निकलने वाले डिजाईन चैनेज 8/628 से 10/872 में वर्तमान में स्थित 7.00 मी. चौड़ी सड़क पर ही रिन्यूवल व ओवरले का कार्य किया जायेगा एवं डिजाईन चैनेज 17/647 से 18/509 में वर्तमान में स्थित 7.00 मी. चौड़ी सड़क पर ही पुनः निर्माण एवं ज्यामिती सुधार कार्य किया जायेगा। अतः Alternative route alignment की आवश्यकता नहीं है एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार Alternative route alignment का निर्माण कार्य भी संभव नहीं है।
2. उपरोक्त वर्णित कारणों से सड़क निर्माण से किसी भी प्रकार का मक जनरेट नहीं होगा। अतः मक निस्तारण योजना की आवश्यकता नहीं है। जिसका प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

यह कार्य एशियन डवलपमेंट बैंक से वित्तीय पोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने का श्रम करें। जिससे सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके एवं राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हो।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।




परियोजना निदेशक
(पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर

कार्यालय परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर

Name of Project:- Development of Beawar Masuda Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72+400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha.

Proposal No.:- FP/RJ/ROAD/21332/2016

उप वन संरक्षण अजमेर के पत्रांक एफ14(एफसीए)/उवसं/2022-23/9840

दिनांक 21.10.2022 की अनुपालना के क्रम में।

उपरोक्त पत्रांक में निर्देशित "The Route Alignment is in mountain area large scale cutting of rocks is involved so detail of muck disposal also to be enclosed" के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में सड़क निर्माण में कोई मक जनरेट नहीं होगा। अतः मक निस्तारण योजना की आवश्यकता नहीं है।

(जीवराज रेगर)
परियोजना निदेशक,
(पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर